

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

Rule 132 : Power to summon persons to give evidence and produce documents

- (1) The ¹[Authority,]²[Director General of Anti-profiteering], or an officer authorised by him in this behalf, shall be deemed to be the proper officer to exercise the power to summon any person whose attendance he considers necessary either to give evidence or to produce a document or any other thing under section 70 and shall have power in any inquiry in the same manner, as provided in the case of a civil court under the provisions of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).
 - (2) Every such inquiry referred to in sub-rule (1) shall be deemed to be a judicial proceedings within the meaning of section 193 and 228 of the Indian Penal Code (45 of 1860).
-

1 Inserted by Noti. No. 31/2019–Central Tax, dt. 28-06-2019 w.e.f. 28-06-2019.

2 Substituted for "Director General of Safeguards" Noti. No. 29/2018–Central Tax, dt. 06-07-2018 w.e.f. 12-06-2018.

नियम 132 : साक्ष्य देने और दस्तावेज पेश करने के लिए व्यक्तियों को समन करने की शक्ति

- (1) ¹[प्राधिकारी] ²[मुनाफाखोरी-निरोधी महानिदेशालय] को किसी व्यक्ति को समन करने की शक्ति प्रयोग करने के लिए या धारा 70 के अधीन कोई अन्य चीज के लिए आवश्यक है, के लिए उचित अधिकारी समझा जाए और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबंधों के अधीन सिविल न्यायालय की दशा में यथा उपबंधित, उसी रीति में जांच की शक्ति होगी।
- (2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट सभी ऐसी जांच, भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 228 और 193 के अर्थ के अंतर्गत "न्यायिक कार्यवाहियां" समझी जाएं।

1 अधिसूचना क्रमांक 31/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 28.06.2019)।

2 अधिसूचना क्रमांक 29/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 06.07.2018 द्वारा "रक्षोपाय महानिदेशालय" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 12.06.2018)।